IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत की सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन रेखाएँ : नदी पुनर्जीवन परियोजना

ममता कुमारी

सहायक व्याख्याता, भूगोल

राजकीय महाविद्यालय, मनोहरथाना

भारत की नदियाँ केवल जलस्रोत नहीं हैं, बल्कि सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आर्थिक जीवन रेखाएँ भी हैं। गंगा, यमुना, गोदावरी, और नर्मदा जैसी नदियाँ देश के करोड़ों लोगों के लिए जीवन का आधार हैं। लेकिन इन नदियों का प्रदूषण स्तर दिन–ब–दिन बढ़ता जा रहा है, जो मानव जीवन, पारिस्थितिकी तंत्र, और कृषि को गंभीर खतरा पहुँचा रहा है। औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले रसायनयुक्त अपशिष्ट, शहरी क्षेत्रों का अनुपचारित गंदा पानी और प्लास्टिक कचरा इन नदियों के प्रमुख प्रदूषक हैं। इन कारणों से नदियों का पानी न केवल पीने योग्य रह गया है, बल्कि यह जलीय जीवों और जैव विविधता के लिए भी घातक हो गया है। जल प्रदूषण का यह स्तर न केवल पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन को भी बढ़ावा दे रहा है। गंगा और अन्य प्रमुख नदियों का प्रदूषण स्तर तेजी से बढ़ रहा है, जो न केवल भारत के पर्यावरणीय संतुलन को प्रभावित कर रहा है, बल्कि मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता के लिए गंभीर खतरा बन गया है। गंगा नदी, जिसे भारत में पवित्रता और जीवनदायिनी के रूप में पूजा जाता है, आज औद्योगिक कचरे, सीवेज, प्लास्टिक, और धार्मिक गतिविधियों से उत्पन्न अपशिष्टों का शिकार हो रही है।

प्रदूषण का यह स्तर न केवल गंगा तक सीमित है, बल्कि यमुना, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, और नर्मदा जैसी अन्य प्रमुख नदियाँ भी इसी समस्या का सामना कर रही हैं। इन नदियों में अनुपचारित सीवेज और औद्योगिक रसायनों का बहाव, अवैध रेत खनन, और तटीय क्षेत्रों पर बढ़ता शहरीकरण मुख्य कारण हैं। इसके अतिरिक्त, धार्मिक रीति–रिवाजों के अंतर्गत मूर्तियों और फूलों को नदियों में विसर्जित करना प्रदूषण को और बढ़ाता है। इन नदियों का बढ़ता प्रदूषण स्तर जलीय जीवों के लिए विनाशकारी साबित हो रहा है। मछलियाँ, कछुए, और अन्य जलीय प्रजातियाँ इस प्रदूषण के कारण मर रही हैं, जिससे पारिस्थितिक तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसके अलावा, प्रदूषित जल के उपयोग से कई जलजनित बीमारियाँ फैल रही हैं, जिनका सीधा प्रभाव लाखों लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर पड़ता है।

सरकार और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा नदियों की सफाई के लिए कई पहलें की गई हैं, जैसे कि नमामि गंगे योजना। हालाँकि, इन प्रयासों की सफलता अभी भी सीमित है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिक गतिविधियों के साथ प्रदूषण के स्तर में भी वृद्धि हो रही है। प्रदूषण को रोकने के लिए आम जनता की भागीदारी और कड़े कानूनों का पालन आवश्यक है। नदियों के प्रदूषण को नियंत्रित करना न केवल एक पर्यावरणीय जिम्मेदारी है, बल्कि यह भारत के सांस्कृतिक और आर्थिक अस्तित्व के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। इन नदियों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना हर नागरिक का दायित्व है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी इनका लाभ उठा सकें।

नदियों के पुनर्जीवन के लिए सरकारी योजनाएँ

नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएँ शुरू की हैं। इन योजनाओं के तहत प्रदूषण के स्रोतों को कम करने, नदियों के किनारे वृक्षारोपण करने, और स्वच्छता अभियानों को बढ़ावा देने जैसे कदम उठाए गए हैं। भारत में नदियों के पुनर्जीवन और संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें विभिन्न योजनाएँ चला रही हैं। प्रमुख योजनाओं का राज्यवार विवरण निम्नलिखित है:

राष्ट्रीय स्तर पर:

नमामि गंगे कार्यक्रम: नमामि गंगे योजना भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा को स्वच्छ और संरक्षित करने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण और कल्याणकारी योजना है। इस योजना की शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने की थी। 2014 में जब श्री मोदी वाराणसी से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए, तो उन्होंने गंगा नदी की महत्ता को समझते हुए इसे स्वच्छ बनाने का संकल्प लिया और इसे अपनी किस्मत का हिस्सा बताया। नमामि गंगे कार्यक्रम को केंद्र सरकार ने जून 2014 में 20,000 करोड़ रुपये के बजट के साथ एक प्रमुख मिशन के रूप में मंजूरी दी थी। इस कार्यक्रम का लक्ष्य गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को पुनर्जीवित करना और उनकी स्वच्छता सुनिश्चित करना था। प्रारंभ में यह योजना 2021 तक लागू रहने के लिए निर्धारित थी।

योजना की बढ़ती आवश्यकता और इसके प्रभाव को देखते हुए, भारत सरकार ने नमामि गंगे मिशन–2024 को स्वीकृति दी। इस नए चरण में 22,500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें 11,225 करोड़ रुपये मौजूदा परियोजनाओं के लिए और 11,275 करोड़ रुपये नई परियोजनाओं के लिए शामिल हैं। नमामि गंगे मिशन का कार्यकाल 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस प्रकार, नमामि गंगे योजना एक व्यापक और दीर्घकालिक प्रयास है, जिसका उद्देश्य गंगा नदी की पवित्रता और स्वच्छता को बनाए रखना है। यह एक केंद्रीय योजना है, जिसका उद्देश्य गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों का प्रदूषण कम करना और उनका पुनर्जीवन करना है। इस योजना के तहत सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नदी तट विकास, वनीकरण, जैव विविधता संरक्षण आदि कार्य किए जा रहे हैं।

उत्तराखंड: स्प्रिंग एंड रिवर रिजूवनेशन प्राधिकरण: राज्य सरकार ने नदियों और जल स्रोतों के पुनर्जीवन के लिए इस प्राधिकरण की स्थापना की है। पहले चरण में सौंग, पूर्वी और पश्चिमी नयार, शिप्रा, और गौड़ी नदियों के पुनर्जीवन के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

स्प्रिंग एंड रिवर रिजूवनेशन प्राधिकरण एक राज्य सरकार द्वारा स्थापित प्राधिकरण है, जिसका उद्देश्य राज्य की नदियों और जल स्रोतों का पुनर्जीवन करना है। यह प्राधिकरण जल संरक्षण, पर्यावरण सुधार, और सतत विकास को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बनाता और उन्हें लागू करता है।

उद्देश्यः जल स्रोतों का संरक्षणः सूख चुकी या प्रदूषित नदियों को पुनर्जीवित करना।

पर्यावरण संतुलनः जल और पर्यावरण में संतुलन स्थापित करना।

समग्र विकासः कृषि, पशुपालन और अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना।

स्थानीय समुदाय की भागीदारीः जनसहभागिता के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देना।

पहले चरण की नदियाँः

सौंग नदी– सौंग नदी राज्य की एक प्रमुख नदी है। इसका पुनर्जीवन न केवल पर्यावरणीय संतुलन के लिए, बल्कि आसपास के क्षेत्रों के कृषि विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है।

पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार नदियाँ–ये नदियाँ धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखती हैं। इनके पुनर्जीवन से आसपास के गांवों और कस्बों को स्वच्छ पानी मिलेगा।

शिप्रा नदी–शिप्रा नदी ऐतिहासिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके पुनर्जीवन से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा।

गौड़ी नदी–गौड़ी नदी के जल का उपयोग आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल के लिए होता है। इसका पुनर्जीवन स्थानीय आबादी के लिए लाभकारी होगा।

कार्ययोजना के मुख्य बिंदुः नदियों के जल स्तर, प्रदूषण स्तर, और उनके पुनर्जीवन की संभावनाओं का अध्ययन किया जा रहा है। पारंपरिक जल संरक्षण तकनीकों का उपयोग। जैव विविधता संरक्षण और वृक्षारोपण। स्थानीय समुदाय को जागरूक करना और पुनर्जीवन कार्यों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना। नदियों में होने वाले औद्योगिक और घरेलू प्रदूषण को रोकने के लिए कड़े नियम बनाए जा रहे हैं। केंद्र और राज्य सरकारों से वित्तीय सहायता। गैर–सरकारी संगठनों और कॉर्पोरेट क्षेत्र का सहयोग। यह योजना एक दूरगामी दृष्टिकोण का उदाहरण है, जो राज्य की नदियों और पर्यावरण के सतत विकास को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जम्मू और कश्मीरः – देविका नदी पुनर्जीवन परियोजना –उत्तर भारत की पहली नदी पुनर्जीवन परियोजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी को पुनर्जीवित करना और उसे प्रदूषण मुक्त बनाना है। देविका नदी, जिसे उत्तर भारत की "गंगा" भी कहा जाता है, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है और इसे धार्मिक महत्व के कारण पवित्र माना जाता है। यह परियोजना केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत चल रही है और इसका उद्देश्य नदी के जलग्रहण क्षेत्र को सुधारना, जल की गुणवत्ता में सुधार करना, और नदी के प्राकृतिक प्रवाह को बनाए रखना है।

इस परियोजना में प्रदूषण नियंत्रण के उपायों पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिसमें आधुनिक सीवरेज नेटवर्क का निर्माण, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना, और नदी के किनारों की सफाई शामिल है। साथ ही, नदी के किनारे की पारिस्थितिकी को संरक्षित करने और पुनर्स्थापित करने के लिए वृक्षारोपण और जैव–विविधता को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस परियोजना के तहत स्थानीय समुदायों को भी जागरूक और संवेदनशील बनाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वे नदी की सफाई और संरक्षण में सक्रिय रूप से भाग लें।

देविका नदी पुनर्जीवन परियोजना न केवल पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह क्षेत्र की सामाजिक और सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित करने का प्रयास है। यह परियोजना क्षेत्र में पर्यटन को भी

बढ़ावा देने की संभावना रखती है, क्योंकि साफ और स्वच्छ नदी स्थानीय और बाहरी पर्यटकों को आकर्षित करेगी। इसके अंतर्गत आधुनिक तकनीकों और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए, नदी को उसके पुराने गौरवशाली स्वरूप में लौटाने का प्रयास किया जा रहा है।

हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्लीः यमुना एक्शन प्लान – भारत सरकार और जापान सरकार के सहयोग से शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य यमुना नदी के प्रदूषण को कम करना और उसके जल को स्वच्छ व संरक्षित बनाना है। यह योजना मुख्य रूप से नदी में गिरने वाले अनुपचारित सीवेज को नियंत्रित करने, औद्योगिक प्रदूषण को रोकने और नदी के पुनर्जीवन के लिए समर्पित प्रयासों पर केंद्रित है।

यमुना एक्शन प्लान के तहत विभिन्न शहरों और कस्बों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण किया गया है ताकि यमुना में गिरने वाले गंदे पानी का उपचार किया जा सके। इन प्लांट्स में अपशिष्ट जल को ट्रीट करने के बाद नदी में छोड़ा जाता है, जिससे नदी का पानी प्रदूषण मुक्त हो सके। इसके साथ ही, औद्योगिक इकाइयों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपशिष्ट जल को उपचारित किए बिना नदी में न छोड़ें। योजना के तहत नगर निगमों और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से नदी के किनारे बसे क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इसमें घाटों की सफाई, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, और नदी के किनारों पर वृक्षारोपण शामिल है। इसके अलावा, यमुना में गिरने वाले नालों को डायवर्ट करने और घरेलू सीवेज को ट्रीटमेंट प्लांट्स तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइन और ड्रेनेज सिस्टम को उन्नत किया गया है।

योजना में जन जागरूकता पर भी विशेष जोर दिया गया है। स्थानीय समुदायों, स्वयंसेवी संगठनों, और शिक्षण संस्थानों को यमुना की सफाई और संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूक किया गया है। स्कूलों और कॉलेजों में स्वच्छता अभियानों और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को सक्रिय रूप से शामिल किया गया है। यमुना एक्शन प्लान तीन चरणों में विभाजित है। पहले और दूसरे चरण में दिल्ली, आगरा, और मथुरा जैसे प्रमुख शहरों पर ध्यान केंद्रित किया गया, जबकि तीसरे चरण में इसका विस्तार हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में किया गया। योजना के तहत प्राप्त प्रगति में चुनौतियां भी हैं, जैसे जनसंख्या वृद्धि, शहरीकरण, और औद्योगिक गतिविधियों से होने वाला अतिरिक्त दबाव। हालांकि यमुना एक्शन प्लान ने नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन इसकी पूर्ण सफलता के लिए सतत प्रयासों, कड़े नियमों, और सभी संबंधित पक्षों के सहयोग की आवश्यकता है।

राजस्थानः राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना – भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य देश की नदियों को प्रदूषण मुक्त करना और उनके पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करना है। राजस्थान में इस योजना के तहत कई नदियों को प्रदूषण मुक्त करने और उनके संरक्षण हेतु विभिन्न परियोजनाएं चल रही हैं।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की शुरुआत 1995 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। यह योजना केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत संचालित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य प्रदूषण को नियंत्रित करना, नदियों को स्वच्छ बनाना, और उनका संरक्षण करना है। राजस्थान राज्य में नदियों की स्थिति चुनौतीपूर्ण है क्योंकि राज्य का अधिकांश भाग शुष्क और अर्ध–शुष्क क्षेत्र में आता है। यहां पानी की कमी और जल स्रोतों का अधिकतम दोहन किया जाता है। इसके बावजूद, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत राज्य में कई कार्य किए जा रहे हैं। सीवरेज शोधन संयंत्रों की स्थापनाः नदियों में गिरने वाले घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट को शुद्ध करने के लिए आधुनिक सीवरेज शोधन संयंत्र लगाए जा रहे हैं। जल संसाधनों को संरक्षित करने के लिए अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और उपयोग पर

जोर दिया गया है। नदियों के तटों पर पौधारोपण, सफाई अभियान और बाढ़ प्रबंधन के लिए कार्य किए जा रहे हैं। लोगों को नदियों के महत्व और प्रदूषण नियंत्रण के लिए जागरूक किया जा रहा है।

राजस्थान में इस योजना के तहत विभिन्न नदियों, जैसे बनास, चंबल, और घग्घर, आदि के संरक्षण पर कार्य किए गए हैं। हालांकि, राज्य में अधिकांश नदियां मौसमी हैं, इसलिए जल संरक्षण और नदी संरक्षण के उपायों को प्राथमिकता दी गई है।

राज्य की चुनौतियां: पानी की कमी और सूखती नदियां। औद्योगिक और घरेलू अपशिष्ट का सीधा नदियों में गिरना। जल संसाधनों के प्रति जागरूकता की कमी।

निष्कर्ष:

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना राजस्थान में जल और नदियों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। हालांकि, राज्य में विशेष रूप से किसी एक नदी के लिए अलग से कोई विस्तृत योजना की जानकारी नहीं है। फिर भी, यह योजना राज्य में नदियों के पुनर्जीवन और उनके पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक है। स्थानीय प्रशासन, समाज और सरकार के सामूहिक प्रयासों से राजस्थान में नदियों का संरक्षण संभव है।

बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल: इन राज्यों में गंगा और उसकी सहायक नदियों के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत विभिन्न परियोजनाएँ संचालित हैं, जिनमें सीवेज ट्रीटमेंट, वनीकरण, और नदी तट विकास शामिल हैं। उल्लेखनीय है कि नदियों के पुनर्जीवन के लिए केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर कार्य कर रही हैं, जिससे जल संसाधनों का संरक्षण और सतत विकास सुनिश्चित हो सके। इस विषय पर चर्चा न केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए आवश्यक है, बल्कि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए भी एक सतत विकास का मार्ग प्रशस्त करती है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. गंभीर, आर. (2016) भारत में नदियों का पुनर्जीवन और जल संरक्षण, नई दिल्ली: विकास प्रकाशन.
2. चतुर्वेदी, अ. (2018) नदी पुनर्जीवन: भारत में जल संकट और समाधान, मुंबई: अग्रवाल पब्लिकेशन
3. शिवलिंग, पी. (2017) भारत में गंगा नदी का संरक्षण: इतिहास और वर्तमान, इलाहाबाद: गंगा शोध संस्थान
4. सिंह, आर. (2020) नदियाँ और भारतीय सभ्यता: पुनर्जीवन का मार्ग,जयपुर: राजस्थान पुस्तक केंद्र
5. कुमार, ए. (2019) जलवायु परिवर्तन और नदियों का प्रभाव: भारत का दृष्टिकोण, पटना: गंगा प्रिंटर्स.
6. तिवारी, एन. (2021) नदी पुनर्जीवन: एक जन सहभागिता का आंदोलन, भोपाल: मध्य प्रदेश पुस्तक भंडार
7. ब्योर, एस. (2015) भारत की नदियाँ और जल प्रबंधन: आवश्यक कदम, दिल्ली: हिंदी पब्लिकेशन हाउस
8. वर्मा, आर. (2022) गंगा और यमुना: नदियों का भविष्य और उनके पुनर्जीवन पर एक दृष्टिकोण, वाराणसी: गंगा संस्कृति प्रकाशन